

24.07.2024:—पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पर पेशी मे ली गई। प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने निवेदन किया की लोक अदालत कि भावना से पक्षकारो के मध्य मे आपस मे राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र मे आगे काई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्वा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री हिरालाल विरथलिया द्वारा की गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत मे विद्वा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

